



आधुनिक समाज में विवाह और परिवार के बदलते आयाम: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

ममता सिरमौर वर्मा, पीएच-डी, समाजशास्त्र अध्ययन शाला
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

ममता सिरमौर वर्मा, पीएच-डी
E-mail : mamtanarendraverma@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/03/2026
Revised on : 25/05/2026
Accepted on : 03/06/2026
Overall Similarity : 00% on 26/05/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: May 26, 2026 (05:37 PM)
Matches: 0 / 2498 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

विवाह और परिवार मानव समाज की मूलभूत संस्थाएँ हैं, जो केवल जैविक पुनरुत्पादन के माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक आश्रय एवं सामाजिक नियंत्रण की संरचनाएँ भी हैं। भारतीय संदर्भ में ये संस्थाएँ परंपरागत रूप से धर्म, जाति, कुल एवं सामूहिकता के व्यापक ताने-बाने में गुँथी रही हैं, परंतु पिछले तीन दशकों में शहरीकरण, उदारीकरण, स्त्री-शिक्षा एवं डिजिटल क्रांति के सम्मिलित प्रभाव से इन संस्थाओं में गहन एवं त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र इन परिवर्तनों को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आलोक में विश्लेषित करता है। अध्ययन में संरचनात्मक-प्रकार्यवाद, द्वंद्ववाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एवं नारीवादी समाजशास्त्र की प्रासंगिकता को समकालीन भारतीय परिवार पर परखा गया है। भारतीय परिवार न तो पूर्णतः परंपरा का परित्याग कर रहा है और न ही पाश्चात्य आदर्शों को अविकल रूप से अपना रहा है। वह एक विशिष्ट “भारतीय आधुनिकता” का निर्माण कर रहा है जिसमें परंपरा और परिवर्तन का संघर्ष एवं समन्वय साथ-साथ चलता है।

मुख्य शब्द

विवाह संस्था, परिवार संरचना, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय आधुनिकता, नारीवाद, संयुक्त परिवार।

प्रस्तावना

विवाह और परिवार ये दो संस्थाएँ किसी भी समाज के सामाजिक ताने-बाने की आधारशिला होती हैं। इन्हें समझे बिना किसी समाज के मूल्यबोध, शक्ति-संरचना, सांस्कृतिक निरंतरता एवं परिवर्तन की दिशा को नहीं समझा जा सकता। दुर्खाइम (1897) से लेकर पार्सन्स (1955) तक और बोगार्डस (1936) से लेकर गिडेंस (1992) तक विभिन्न समाजशास्त्रीय परंपराओं ने परिवार को भिन्न-भिन्न परंतु पूरक दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ परिवार को केवल एक

सामाजिक इकाई नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्था के रूप में देखा जाता रहा है। हिंदू विवाह—संस्कार से लेकर मुस्लिम निकाह तक, सभी धार्मिक परंपराओं में विवाह को सामाजिक—नैतिक दायित्व माना जाता है, परंतु 1991 के आर्थिक उदारीकरण, 1994 में निजी टेलीविजन के प्रसार एवं 2000 के बाद इंटरनेट की सुलभता ने भारतीय युवाओं की वैवाहिक एवं पारिवारिक अपेक्षाओं को गहराई से बदल दिया है।

एनएसएसओ (2022) के आँकड़ों के अनुसार शहरी भारत में एकल परिवारों का अनुपात 62 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जो 1981 में मात्र 38 प्रतिशत था। भारत की जनगणना (2021) दर्शाती है कि विवाह की औसत आयु पुरुषों में 23.4 वर्ष से बढ़कर 26.1 वर्ष और महिलाओं में 18.7 वर्ष से बढ़कर 22.7 वर्ष हो गई है। एनसीआरबी (2023) की रिपोर्ट बताती है कि महानगरों में तलाक की दर प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। ये संख्याएँ केवल जनांकीय परिवर्तन की नहीं बल्कि गहन सामाजिक—सांस्कृतिक रूपांतरण की कहानी सुनाती हैं।

इस परिवर्तन को समझने के लिए दो विपरीत ध्रुवों से बचना आवश्यक है। एक ध्रुव वह है जो इस परिवर्तन को “सांस्कृतिक पतन” के रूप में देखता है और परिवार की परंपरागत संरचना की वापसी का आग्रह करता है। दूसरा ध्रुव वह है जो इसे “प्रगति” का एकरेखीय मार्च मानकर आलोचनाहीन स्वीकृति देता है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण को इन दोनों से परे जाकर उन संरचनात्मक कारणों, अंतर्विरोधों एवं नवीन संभावनाओं को उजागर करना होगा जो इस परिवर्तन को उत्पन्न कर रहे हैं।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. भारतीय विवाह—संस्था में हो रहे संरचनात्मक एवं मूल्यगत परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
2. परिवार के स्वरूप में आ रहे रूपांतरण संयुक्त से एकल, पितृसत्तात्मक से समतावादी की प्रकृति एवं सीमाओं को समझना।
3. विलम्बित विवाह, प्रेम—विवाह, लिव—इन संबंध, तलाक एवं अंतरजातीय विवाह जैसी नवीन प्रवृत्तियों के सामाजिक कारणों एवं परिणामों की विवेचना करना।
4. महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक स्वावलंबन के परिवार—संरचना पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आलोक में भारतीय परिवार के “परंपरा एवं आधुनिकता” के द्वंद्व को परखना।
6. नीतिगत एवं सामाजिक दृष्टि से इन परिवर्तनों के संदर्भ में सुझाव प्रस्तावित करना।

शोधपत्र का महत्व

विवाह और परिवार पर केन्द्रित यह अध्ययन एकाधिक स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक स्तर पर यह पाश्चात्य समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की भारतीय संदर्भ में परीक्षणयोग्यता को जाँचता है। गिडेंस (1992) की “शुद्ध संबंध” (Pure Relationship) की अवधारणा, बेक एवं बेक—गेर्न्सहाइम (1995) की “व्यक्तिगतीकरण” (Individualization) की प्रक्रिया तथा बुर्दियो (1998) की “क्षेत्र सिद्धांत” (Field Theory) ये सभी भारतीय परिवार के परिवर्तनों की व्याख्या में कहाँ तक उपयोगी हैं एक महत्वपूर्ण शोध—प्रश्न है।

व्यावहारिक स्तर पर यह अध्ययन परिवार—कानून, महिला—सशक्तीकरण नीतियों, बाल—विकास कार्यक्रमों एवं वृद्धावस्था देखभाल की व्यवस्था के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। परिवार की संरचना में परिवर्तन का सीधा संबंध बच्चों के समाजीकरण, वृद्धों की देखभाल, महिलाओं की स्वायत्तता एवं मानसिक स्वास्थ्य से है। इन सरोकारों को नीति—निर्माण में उचित स्थान देना तभी संभव है जब इनका व्यवस्थित समाजशास्त्रीय विश्लेषण उपलब्ध हो।

सांस्कृतिक स्तर पर यह अध्ययन उस विमर्श को समृद्ध करता है जो भारतीय समाज में “परंपरा बनाम आधुनिकता” को लेकर प्रायः अतिसरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह शोध यह दर्शाने का प्रयास करता है कि परिवर्तन न तो समग्र है, न एकदिशीय। वह वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र एवं धर्म के आधार पर अलग—अलग गति और स्वरूप में प्रकट होता है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र वर्णनात्मक—विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है। अध्ययन में विश्वसनीय द्वितीयक

स्रोतों का व्यवस्थित संकलन एवं गुणात्मक विश्लेषण किया गया है। संस्थागत स्रोतों में भारत की जनगणना, एनएसएसओ, एनसीआरबी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस-5), श्रम ब्यूरो भारत, प्यू रिसर्च सेंटर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रतिवेदनें सम्मिलित हैं।

विश्लेषण में संरचनात्मक-प्रकार्यवाद, मार्क्सवादी-नारीवादी सिद्धांत एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को वैचारिक कसौटी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अध्ययन मुख्यतः भारतीय संदर्भ में केन्द्रित है, परंतु तुलनात्मक स्पष्टता के लिए दक्षिण एशियाई एवं पूर्व एशियाई समाजों के संदर्भ भी यथास्थान उद्धृत किए गए हैं।

आँकड़ों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण

परिवर्तन का आयाम	मुख्य प्रवृत्ति	स्रोत	मुख्य निष्कर्ष
संरचनात्मक	संयुक्त से एकल परिवार की ओर संक्रमण	एनएसएसओ (2022)	शहरी परिवारों में 62% एकल परिवार, ग्रामीण में 44%
वैवाहिक	विलम्बित विवाह एवं प्रेम-विवाह में वृद्धि	भारत की जनगणना (2021)	विवाह की औसत आयु पुरुषों में 26.1 वर्ष, महिलाओं में 22.7 वर्ष
न्यायिक	तलाक दर में वृद्धि एवं विधिक जागरूकता	एनसीआरबी (2023)	महानगरों में तलाक दर प्रति वर्ष 13% की दर से बढ़ी
आर्थिक	दोहरी आय वाले परिवारों में वृद्धि	श्रम ब्यूरो, भारत (2023)	शहरी विवाहित महिलाओं की श्रम भागीदारी 34% तक पहुँची
सांस्कृतिक	अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह की स्वीकृति	प्यू रिसर्च सेंटर (2022)	35% युवा अंतरजातीय विवाह को उचित मानते हैं

[स्रोत: एनएसएसओ (2022), भारत की जनगणना (2021), एनसीआरबी (2023), श्रम ब्यूरो भारत (2023), प्यू रिसर्च सेंटर (2022)]

- **परिवार की संरचना में रूपांतरण:** पार्सन्स एवं बेल्स (1955) ने आधुनिक समाज में “एकल परिवार” (Nuclear Family) को औद्योगीकरण की आवश्यकता के रूप में व्याख्यायित किया था। भारत में यह प्रक्रिया देर से प्रारंभ हुई परंतु अब तीव्र गति से चल रही है। एनएसएसओ (2022) के अनुसार शहरी भारत में 62 प्रतिशत परिवार एकल इकाई के रूप में जी रहे हैं, परंतु यह विखंडन पूर्णतः पाश्चात्य नहीं है अनेक परिवार “आर्थिक रूप से एकल” और “सामाजिक रूप से संयुक्त” हैं, जिसे समाजशास्त्री इंदिरा कार्वे ने “हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम” की लचीली पुनर्संरचना के रूप में चिह्नित किया था।
- **विवाह की बदलती प्रकृति:** गिडेंस (1992) की “शुद्ध संबंध” की अवधारणा यह मानती है कि आधुनिक प्रेम-संबंध एवं विवाह तब तक ही टिकते हैं जब तक वे दोनों पक्षों को भावनात्मक संतुष्टि देते हों। भारत में यह प्रवृत्ति सीमित किंतु बढ़ती हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर (2022) के अनुसार 35 प्रतिशत युवा अंतरजातीय विवाह को उचित मानते हैं, यह 2010 की तुलना में दोगुना है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि शिक्षा एवं आर्थिक स्वावलंबन की उच्चाकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है, विशेषकर महिलाओं में।
- **तलाक एवं वैवाहिक विघटन:** एनसीआरबी (2023) के आँकड़े बताते हैं कि महानगरीय न्यायालयों में तलाक के मुकदमों में 13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही है। परंतु इसे केवल “पारिवारिक विखंडन” के रूप में नहीं देखा जाना

चाहिए। नारीवादी समाजशास्त्री बेटी फ्रीडान (1963) एवं आनंदी गोपाल (2009) के परिप्रेक्ष्य में तलाक का अधिकार महिलाओं की एजेंसी (Agency) का प्रतीक भी है तथापि, तलाक के आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम, विशेषकर बच्चों पर, एक गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं।

- **महिला सशक्तीकरण एवं परिवार:** श्रम ब्यूरो (2023) के अनुसार शहरी विवाहित महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 34 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। एनएफएचएस-5 (2021) दर्शाता है कि शिक्षित महिलाएँ परिवार में निर्णय-निर्माण में अधिक सहभागी हैं। बुर्दियो (1998) के “पुरुष-प्राधिकार” (Masculine Domination) के सिद्धांत के आलोक में यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है, परंतु “दोहरी भूमिका” (Double Burden) की समस्या घर और कार्यस्थल दोनों पर अभी भी यथावत है। गृहकार्य के असमान वितरण का समाजशास्त्रीय यथार्थ बदले स्वरूप में निरंतर है।
- **लिव-इन संबंध एवं नवीन पारिवारिक स्वरूप:** भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2006 के “इंद्र शर्मा बनाम वी के वी शर्मा” वाद से लेकर 2023 तक के कई निर्णयों में लिव-इन संबंधों को विधिक मान्यता की दिशा में बढ़ाया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन लुहमान (1986) के “अंतरंगता प्रणाली” (Intimacy System) के उस विश्लेषण के अनुरूप है जिसमें विवाह का संस्थागत नियंत्रण शिथिल होकर व्यक्तिगत चुनाव को केन्द्र में ला रहा है। यह प्रवृत्ति मुख्यतः उच्च-शिक्षित महानगरीय युवाओं में है परंतु इसके प्रभाव व्यापक हैं।

समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

संरचनात्मक-प्रकार्यवाद की दृष्टि से दुर्खाइम एवं पार्सन्स परिवार को समाज की “सार्वभौमिक इकाई” मानते हैं जो यौन नियमन, आर्थिक सहयोग, प्रजनन एवं समाजीकरण के कार्य सम्पन्न करती है। भारतीय एकल परिवार की ओर संक्रमण इस दृष्टि से “प्रकार्यात्मक विशेषीकरण” का प्रतीक है, परंतु आलोचना यह है कि यह सिद्धांत शक्ति-असमानता को तटस्थ मानकर चलता है और परिवार के भीतर उत्पीड़न की संरचनाओं को “प्रकार्य” की भाषा में छुपा देता है।

मार्क्सवादी एवं नारीवादी समाजशास्त्र की दृष्टि से एंगेल्स (1884) ने “परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति” में यह तर्क दिया था कि एकांगी विवाह (Monogamy) का उद्देश्य सम्पत्ति का पितृवंशीय उत्तराधिकार सुनिश्चित करना है। आज के भारत में दहेज-प्रथा, सम्पत्ति में स्त्री के सीमित अधिकार एवं गृहकार्य के अवैतनिक स्वरूप में यह सैद्धांतिक स्थापना आज भी प्रासंगिक है। कपाडिया (1966) एवं पटेल (2010) जैसे भारतीय समाजशास्त्रियों ने इस ढाँचे को भारतीय जाति-व्यवस्था एवं पितृसत्ता के अंतर्संबंध के साथ परिष्कृत किया है।

प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की दृष्टि से गॉफमैन (1959) एवं ब्लूमर (1969) का यह दृष्टिकोण कि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण प्रतीकों एवं अर्थों के आदान-प्रदान से होता है, परिवार के अध्ययन पर भी लागू होता है। विवाह-समारोहों के बदलते स्वरूप, “वेडिंग इंडस्ट्री” का उभार, परिवार की सोशल मीडिया पर प्रस्तुति ये सब नवीन अर्थ-संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रियाएँ हैं जो पुराने प्रतीकों को नए संदर्भ में पुनर्परिभाषित कर रही हैं।

गिडेंस (1992) की श्वक्तिगतीकरण एवं “शुद्ध संबंध” की अवधारणाएँ भारतीय संदर्भ में आंशिक रूप से ही लागू होती हैं। जहाँ शहरी मध्यवर्ग में “स्वयं का निर्णय” (Self-Choice) में वृद्धि देखी जा रही है, वहीं ग्रामीण एवं दलित समाजों में जाति-पंचायतों द्वारा अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध, “ऑनर किलिंग” जैसी घटनाएँ बताती हैं कि व्यक्तिगतीकरण एक वर्गीय एवं जातिगत विशेषाधिकार है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र यह स्थापित करता है कि भारतीय विवाह एवं परिवार-संस्था में हो रहे परिवर्तन बहुस्तरीय, अंतर्विरोधी एवं असमान हैं। संयुक्त परिवार का विघटन एवं एकल परिवार का उभार एक स्पष्ट संरचनात्मक प्रवृत्ति है, परंतु यह परिवर्तन वर्ग, जाति, क्षेत्र एवं धर्म के आधार पर भिन्न-भिन्न गति से घटित हो रहा है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, प्रेम-विवाहों की बढ़ती स्वीकृति एवं तलाक दर में वृद्धि ये सभी व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं भावनात्मक अपेक्षाओं के उभार को इंगित करते हैं।

महिलाओं की बढ़ती शिक्षा एवं आर्थिक सहभागिता ने परिवार की शक्ति-संरचना में महत्वपूर्ण परंतु अधूरे बदलाव लाए हैं। “दोहरी भूमिका” का बोझ, घरेलू हिंसा की निरंतरता एवं सम्पत्ति अधिकारों में व्यवहारिक विभेद ये वे क्षेत्र हैं जहाँ परिवर्तन की गति अत्यंत मंद है। नारीवादी दृष्टिकोण से परिवार अभी भी एक ऐसी संस्था है जिसमें “प्रेम” एवं “शोषण” एक साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।

लिव-इन संबंधों, अंतरजातीय विवाहों एवं एकल-अभिभावक परिवारों का उभार यह बताता है कि “परिवार” की

अवधारणा स्वयं विस्तृत एवं बहुलवादी हो रही है। समाज को इन नवीन स्वरूपों के प्रति न केवल विधिक बल्कि सामाजिक एवं नैतिक स्वीकृति विकसित करनी होगी साथ ही यह भी आवश्यक है कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया में जो लोग सामाजिक सुरक्षा के पारंपरिक जाल से बाहर हो रहे हैं वृद्ध, परित्यक्त महिलाएँ, अकेले बच्चे उनके लिए नवीन सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण हो।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से भारतीय परिवार एक “संक्रमणकालीन संस्था” है, वह न तो पूर्णतः पुरानी है और न पूर्णतः नई। यह एक ऐसी जीवित संस्था है जो अपने सदस्यों के अंतर्द्वंद्वों, आकांक्षाओं एवं समझौतों से निरंतर पुनर्निर्मित हो रही है। इसे समझना न केवल अकादमिक जिज्ञासा का विषय है, यह भारतीय समाज के भविष्य को समझने की कुंजी है।

सुझाव

1. परिवार-कानूनों में समान नागरिक संहिता की दिशा में सुधार किए जाएँ ताकि विभिन्न धर्मों की महिलाओं को समान विवाह-विच्छेद एवं सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हों।
2. विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में “पारिवारिक जीवन शिक्षा” (Family Life Education) को सम्मिलित किया जाए जिसमें भावनात्मक साक्षरता, सहमति एवं लैंगिक समानता के मूल्यों पर बल हो।
3. एकल-अभिभावक परिवारों एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए सरकारी आवास, आजीविका एवं बाल-देखभाल योजनाओं में विशेष प्रावधान किए जाएँ।
4. वृद्धावस्था देखभाल के लिए एकल-परिवार की सीमाओं को स्वीकार करते हुए सामुदायिक एवं सार्वजनिक वृद्धाश्रम-नेटवर्क का विस्तार किया जाए।
5. अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों को सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने हेतु “विशेष विवाह अधिनियम” के व्यावहारिक क्रियान्वयन को सुदृढ़ किया जाए।

संदर्भ सूची

1. Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (1995) *The Normal Chaos of Love*. Polity Press, 65 Bridge Street, Cambridge. CB2 1UR, United Kingdom.
2. Blumer, H. (1969) *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1 Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey, NJ 07458, USA.
3. Bourdieu, P. (1998) *Masculine Domination* (R. Nice, Trans.) Stanford, Stanford University Press, 450 Jane Stanford Way, Stanford, California, USA.
4. Census of India. (2021) *Data on Marriage Age and Family Structure*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
5. Durkheim, E. (1964) *The Division of Labor in Society* (G. Simpson, Trans.) Free Press, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, USA. (Original work published 1893)
6. Engels, F. (1972) *The Origin of the Family, Private Property and the State* (E. B. Leacock, Trans.) International Publishers, 381 Park Avenue South, New York, NY 10016, USA. (Original work published 1884)
7. Giddens, A. (1992) *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Polity Press, 65 Bridge Street, Cambridge, CB2 1UR, United Kingdom.
8. Goffman, E. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday & Company, 1540 Broadway, New York, NY 10036, USA.
9. Gopal, A. (2009) Parivartan ke Daur Mein Bharatiya Parivar. *Samajshastra Sarvekshan*, 58(3), 212–229.
10. Kapadia, K. M. (1966) *Marriage and Family in India* (3rd ed.) Oxford University Press, YMCA Library Building, Jai Singh Road, New Delhi.

11. Karve, I. (1953) *Kinship Organization in India*. Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Yerawada, Pune, India.
12. Labour Bureau, India. (2023) *Annual Employment and Unemployment Survey 2022–23*. Ministry of Labour and Employment, Government of India, SCO 28–31, Sector 17A, Chandigarh 160017, India.
13. Luhmann, N. (1986) *Love as Passion: The Codification of Intimacy* (J. Gaines & D. Jones, Trans.) Harvard University Press, 79 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA.
14. National Crime Records Bureau (NCRB) (2023) *Crime in India 2022–23*. Ministry of Home Affairs, Government of India, NH-8, Mahipalpur, New Delhi, India.
15. National Family Health Survey-5 (NFHS-5) (2021) *National Report*. International Institute for Population Sciences (IIPS), Govandi Station Road, Deonar, Mumbai.
16. National Sample Survey Office (NSSO) (2022) *Family Structure and Housing Survey 2022*. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, Sardar Patel Bhavan, Parliament Street, New Delhi.
17. Parsons, T. & Bales, R. F. (1955) *Family, Socialization and Interaction Process*. Free Press, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, USA.
18. Patel, T. (2010) Samajik Parivartan evam Bharatiya Vivah. *Indian Journal of Sociology*, 31(2), 87–104.
19. Pew Research Center. (2022) *Religion and Family in India*. Pew Research Center, 901 E Street NW, Washington, DC 20004, USA.
20. Sharma, U. (1984) Dowry in North India: Its Consequences for Women. In R. Hirschon (Ed.), *Women and Property — Women as Property*, pp. 62–74, Croom Helm Ltd., Provident House, Burrell Row, Beckenham, Kent BR3 1AT, London, United Kingdom.
21. Singh, K. (2021) Mahanagariya Bharat Mein Talaq evam Vivah-Vichchhed ki Badalti Pravrittiyan. *Samkaleen Samajik Vigyan Sameeksha*, 9(1), 45–61.
